आज के ट्वीट

शीलाजी ने दिल्ली में सरकार निर्माण के बारे में जो बात कही, वह उनकी निजी राय हो सकती है। कांग्रेस तो नहीं चाहती कि भाजपा सरकार बनाए।
-अजय माकन

9/11 की स्मृति हमारे जेहन में अंकित है। इस दौरान दुनिया भले ही काफी बदल गई हो, लेकिन अमेरिका का आतंकवाद के प्रति दोहरा नजरिया नहीं बदला। **-अभिषेक मनु सिंघवी**

खबर है कि सरकार हर साल 9000 फोन टेप करती है। इसके बावजूद हम सरकार से शिकायत करते हैं कि वह हमारी सुनती नहीं!
-जावेद जाफरी

विचार

अपने सपनों को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यही है कि आप जाग जाएं। –पॉल वैलेरी

फिर मिलेगा 'आधार'

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व प्रमुख नंदन नीलेकणी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ही ऐसी खबरें आने लगी थीं कि एनडीए सरकार आधार कार्ड योजना की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त हो गई है। बचा-खुचा ऊहापोह भी तब खत्म हो गया, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना के अगले चरण के लिए 1,200 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया। यह धन छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में नए लोगों को आधार कार्ड मुहैया कराने पर खर्च किया जाएगा। इन कार्डों के जरिए सबसिडी सीधे लाभार्थियों को देने का काम कुशलता से हो सकता है, स्पष्टत: केंद्र इस समझ से सहमत है। अत: अब वह तीव्र गति से बचे काम को पूरा करना चाहता है। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के कार्यकाल में 67 करोड़ से अधिक कार्ड वितरित किए गए थे। इस पर 4,900 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए। लेकिन तब कुल 18,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस योजना की कई कारणों से कड़ी आलोचना हुई थी। अत: केंद्र में सरकार बदलने के बाद आशंका पैदा हुई कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को भंग किया जा सकता है। उस स्थिति में पहले ही खर्च हो चुका धन बर्बाद हो जाता। ऐसे अंदेशे अब दूर हो गए हैं। इसके बावजूद जिन मूलभूत कारणों से आधार कार्ड योजना सवालों के घेरे में आई थी, उनका समाधान होना अभी बाकी है। बेहिचक कहा जा सकता है कि उन वजहों को वर्तमान सरकार ने दूर नहीं किया, तो यह महत्वाकांक्षी परियोजना समस्याग्रस्त बनी रहेगी। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि पूर्व सरकार ने बिना कानूनी आधार तैयार किए इस योजना पर अमल शुरू कर दिया। इससे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के साथ इसका अंतर्विरोध खड़ा हुआ। आधार कार्ड की भूमिका किस रूप में प्रस्तावित एनपीआर कार्डों से अलग है, यह साफ नहीं था। बाद में यूपीए सरकार ने यूआईडीएआई कानून का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन तब तक उसके जाने का वक्त आ गया। तो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सर्वप्रमुख कार्य यही है कि वह यूआईडीएआई को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त अधिनियम यथाशीघ्र पास कराए। कानून ऐसा हो, जिससे आधार कार्ड के उद्देश्य एवं औचित्य की स्पष्ट व्याख्या हो सके। एक बड़ी समस्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आई थी कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी को सबसिडी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अब वर्तमान सरकार के सामने चुनौती न्यायालय में तार्किक ढंग से यह सिद्ध करने की है कि सबसिडी प्राप्त करने के लिए यह कार्ड क्यों अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा काम सिविल सोसायटी के एक हिस्से में बैठी इन आशंकाओं को दूर करने का है कि आधार कार्ड के लिए जुटाई गई सूचनाओं का दुरुपयोग नागरिकों की निजता के उल्लंघन के लिए हो सकता है। मोदी सरकार इन आधारभूत प्रश्नों को हल कर पाई, तो निश्चय ही आधार योजना दीर्घकालिक औचित्य प्राप्त कर सकेगी।

जिन कारणों से आधार कार्ड योजना सवालों के घेरे में आई थी, वर्तमान सरकार ने अगर उन्हें दूर नहीं किया तो यह योजना समस्याग्रस्त ही बनी रहेगी।

भारत-पाक : कोई आसान हल नहीं

नटवर सिंह
letter@naidunia.com

भारत-पाकिस्तान संबंधों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है कश्मीर समस्या। पाकिस्तानियों पर कश्मीर की धुन सवार है। इंदिरा गांधी को छोड़कर हर प्रधानमंत्री को यही लगता रहा है कि वे कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह एक खुशफहमी है, क्योंकि दोनों ही देश एक-दूसरे को एक वर्गमील जमीन भी नहीं दे सकते।

भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ऐसे हैं कि उनके बीच दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यही कारण है कि दोनों मुल्कों के लिए यह हमेशा जरूरी बना रहता है कि वे अपना 'डिप्लोमेटिक फर्स्ट एड किट' तैयार रखें। फिलवक्त, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात न केवल खराब हैं, बल्कि वे भारत के लिए भी चिंता का विषय हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हुकूमत की जैसे घेराबंदी कर दी गई है। पाकिस्तान के मामलों में उसकी फौज ही हमेशा निर्णायक हस्तक्षेप करती है। फिलहाल तो वह रुको और देखो की नीति अख्तियार किए हुए है। लेकिन यदि हालात बेकाबू हो जाते हैं तो पाकिस्तान की फौज चौथी बार इस मुल्क की कमान अपने हाथों में ले सकती है। इससे पहले पाकिस्तान में दस साल तक जनरल अयूब खान, ग्यारह साल तक जनरल जिया-उल-हक और आठ साल तक जनरल परवेज मुशर्रफ का सिक्का चल चुका है।

लोकतंत्र जिस तरह से भारत में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब रहा है, वैसा पाकिस्तान में कभी नहीं हो पाया। वास्तव में यदि मलेशिया और इंडोनेशिया को छोड़ दें तो किसी भी मुस्लिम मुल्क में लोकतांत्रिक राज नहीं है। 'अरब-वसंत' जब तक रहा, उथल-पुथल का दौर जारी रहा। अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, माली इन तमाम मुल्कों में संकट के हालात हैं। मुस्लिम-जगत मॉरितानिया से इंडोनेशिया तक पसरा हुआ है। मैंने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया है, इस्लामिक का नहीं, क्योंकि इस्लाम में अनेक पंथ हैं, जैसे शिया, सुन्नी, ईस्माइली, खोजा, कुर्द, अहमदिया। ये सभी एक ही खुदा की उपासना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, अल्जीरिया, माली वगैरह में मुस्लिम ही मुस्लिमों का कत्ल कर रहे हैं। तालिबान इस्लाम की अपने ही ढंग से व्याख्या करता है।

पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं में से एक थे। यह अक्सर भुला दिया जाता है कि 25 दिसंबर 1876 से 13 अगस्त 1947 तक जिन्ना एक भारतीय थे। वे अपने जीवनकाल में केवल 13 माह ही पाकिस्तानी रहे! गांधीजी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राजाजी, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान इन सभी ने जेलों में लंबा वक्त गुजारा था। लेकिन जिन्ना ने कभी एक लाठीचार्ज का भी सामना नहीं किया। वे कभी किसी आंदोलन में शरीक नहीं हुए और उन्होंने एक घंटा भी जेल में नहीं बिताया। वे सिगार पीते थे, शार्क-स्किन सूट पहनते थे और रॉल्स रॉयस की सवारी करते थे। इसी आरामपसंद एलीट ने फ्रांस व जर्मनी के कुल जमा क्षेत्रफल जितना एक नया देश रच दिया था!

1980 के दशक के प्रारंभ में मैं पाकिस्तान में राजदूत था। मैंने देखा कि जिन्ना की तस्वीर हर दफ्तर, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी, हर बैंक, अनेक घरों और फौज के हर ठिकाने में है। जबकि हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान में उन्हें भुला दिया गया है, जैसे गांधी को हमने भुला दिया।

राजदूत के रूप में इस्लामाबाद रवाना होने से पहले मेरी भेंट भारत में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुस्सत्तार से हुई थी। सत्तार और मैं वर्ष 1954 से एक-दूसरे को जानते थे। हम लंदन के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस में आठ हफ्तों का कोर्स अटेंड कर रहे थे। हमारी वर्षों से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन हम एक-दूसरे के संपर्क में बने हुए थे। मैंने सत्तार से कहा, 'मुझे पाकिस्तानियों से क्या कहना है, यह मुझे पता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे पाकिस्तानियों से क्या नहीं कहना चाहिए।' उन्होंने सीधा-सा जवाब दिया, 'यह बात कभी मत कहना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक हैं। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर बंटवारे की नौबत ही क्यों आती?' मैंने उनकी हिदायत का पालन किया।

11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के समक्ष जिन्ना ने जो भाषण दिया था, उसे मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है। जिन्ना ने कहा था : '...आप चाहे जिस धर्म, जाति या पंथ के हों, इसका राज्यसत्ता के कामकाज से कोई सरोकार नहीं... मुझे लगता है हमें इसे अपने सामने एक आदर्श की तरह रखना चाहिए और आप पाएंगे कि एक समय के बाद हिंदू हिंदू नहीं रह गए हैं और मुस्लिम मुस्लिम नहीं रह गए हैं। धार्मिक अर्थों में नहीं, क्योंकि वह तो हर व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, बल्कि एक राज्यसत्ता के नागरिक के रूप में, राजनीतिक अर्थों में।'

उस दिन जिन्ना एक सेकुलर राजनेता की भाषा बोल रहे थे। लेकिन जब मैं पाकिस्तान पहुंचा, तो पाया कि जिन्ना का अल्पजीवी सेकुलरिज्म कभी का खत्म हो चुका था। जिया-उल-हक कट्टरपंथी मुस्लिम थे, जो कि छह वक्त की नमाज पढ़ते थे। इनमें से अंतिम नमाज रात के दो बजे पढ़ी जाती। जिन्ना के वक्तव्य के बरक्स अब जरा जिया की बातें सुनें : 'मैं पाकिस्तान में इस्लाम का राज कायम करना चाहता हूं। हमारी मौजूदा राजनीतिक सत्ता पश्चिमी देशों के सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम पर आधारित है, जिसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं। पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के आधार पर हुआ है और इस्लाम में पश्चिमी शैली के चुनावों के लिए कोई जगह नहीं है।'

जब जिया-उल-हक ने यह कहा, जिन्ना बेचैनी से अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे!

लेकिन राष्ट्रपति जिया-उल-हक से मेरे जल्द ही अच्छे ताल्लुक बन गए। हम दोनों दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ चुके थे, वे 1944 से 1947 तक और मैं 1948 से 1952 तक। इसका मुझे फायदा मिला। जिया यह भी जानते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी से मेरी निकटता है। 20 अप्रैल 1980 को उन दोनों की हरारे में मुलाकात हुई थी और मैं भी वहां मौजूद था। जिया घबराए हुए-से नजर आ रहे थे। इंदिराजी भी सहज नहीं थीं। अप्रैल 1979 में जिया-उल-हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी और इंदिराजी इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई थीं।

पाकिस्तान से हमारे मधुर संबंधों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है कश्मीर समस्या। पाकिस्तानियों पर कश्मीर की धुन सवार है। पाकिस्तान की हुकूमतें अपने मुल्क की अंदरूनी समस्याओं से ध्यान बंटाने के लिए कश्मीर का राग अलापती रहती हैं। इंदिरा गांधी को छोड़कर हर प्रधानमंत्री को यही लगता रहा है कि वे कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह एक खुशफहमी है, क्योंकि दोनों ही देश एक-दूसरे को एक वर्गमील जमीन भी नहीं दे सकते। यदि किसी सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की भी, तो अगले ही दिन वह गिर जाएगी।

जवाहरलाल नेहरू महान प्रधानमंत्री थे, लेकिन वे एक अच्छे विदेश मंत्री नहीं थे। उन्हें वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शरण में नहीं जाना था। वे यूएन चार्टर के छठे अध्याय के तहत कश्मीर मामले को सुरक्षा परिषद में ले गए थे। यह अध्याय क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों के बारे में है। जबकि उन्हें इस मामले को अध्याय सात के तहत ले जाना था, जो कि आक्रामकता के प्रदर्शन के बारे में है। पं. नेहरू अपनी भलमनसाहत में लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव में आकर जनमत-संग्रह के लिए भी राजी हो गए थे। कश्मीर विवाद उन चुनिंदा मामलों में से एक है, जिनके कोई सरल जवाब नहीं हो सकते। यही कारण है कि भारत-पाक के बीच मौजूदा हालात कायम रहेंगे और नियंत्रण रेखा ही दोनों के बीच की सीमा बन जाएगी।

(लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)

रिवर्स गियर

ज्ञान गंगा

दूर हुआ अर्जुन का भ्रम

पांडव अज्ञातवास के तहत बदले वेश में विराट नगरी में निवास कर रहे थे। उसी समय कौरवों ने विराट पर चढ़ाई कर दी। वृहन्नला के वेश में अर्जुन विराट की ओर से लड़े। उर्वशी द्वारा मिले एक वर्ष के पुरुषत्वहीनता के शाप के बावजूद उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ दिखाया कि कौरव तो परास्त हुए ही, स्वयं उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बाद में भगवान कृष्ण से उस संदर्भ की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा - 'पुरुषत्वहीनता के शाप के बीच ऐसा पुरुषार्थ आपके आशीर्वाद से ही बन पड़ा।' कृष्ण बोले - 'पार्थ, यह ठीक है कि मैं तुम्हारे हित के लिए प्रयत्नशील रहता हूं। परंतु इस प्रसंग में तो तुम देवी उर्वशी के आशीर्वाद से ही विजयी हुए थे।' अर्जुन चौंके, बोले - 'प्रभु परिहास कर रहे हैं! उर्वशी ने तो मुझे शाप दिया था।' यह सुनकर कृष्ण तनिक मुस्कराए और बोले - 'धनंजय, ऐसा कहकर तुम अपनी ही मान्यता के साथ अन्याय कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि जिस उर्वशी के प्रणय को तुमने अस्वीकार कर दिया, वही सब कुछ थी? जिस उर्वशी को तुमने मातृभाव से देखा, उसका शाप भी स्वीकार किया, वह मातृरूपा उर्वशी क्या कुछ भी नहीं थी? यदि वह कुछ नहीं थी तो तुमने उसके लिए कामिनी उर्वशी की क्यों उपेक्षा की?' अर्जुन असमंजस की स्थिति में प्रभु का मुंह ताकते रह गए। कृष्ण ने अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहा - 'अर्जुन, तुमने कामिनी उर्वशी की उपेक्षा की थी, जिसने क्रोधित होकर तुम्हें शाप दिया। परंतु तुमने जिस मातृशक्ति का सम्मान किया और जिसके प्रति आस्था अडिग रखते हुए शाप भी शिरोधार्य किया, उसने तुम्हें हृदय से आशीष दिया था कि वासना के समक्ष अजेय रहने वाले मेरे इस पुत्र को कभी पुरुषार्थ क्षेत्र में पराजित न होना पड़े।' कृष्ण आगे बोले - 'शाप या आशीर्वाद के लिए वाणी का प्रयोग किया जाए या न किया जाए, जब वह अंत:करण की गहराई से निकलता है, तो फलित होता है। शाप देने वाली उर्वशी से आशीष देने वाली उर्वशी अधिक सक्षम थी। उसका आशीर्वाद कैसे निष्फल होता!' अर्जुन हर्षित होते हुए बोले - 'प्रभु, आज आपने मेरा एक भारी भ्रम दूर कर दिया। मुझे देवी उर्वशी के प्रति किंचित मात्र भी रोष नहीं था और न ही अपने किए पर कोई पश्चाताप ही। परंतु मातृभाव का स्नेह प्रसाद मिलने का रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरी यह दुविधा भी दूर हो गई।'

50 साल पहले

12.09.1964 की नईदुनिया से

केंद्रीय जासूसों द्वारा जांच

नई दिल्ली। गृहमंत्री श्री नंदा ने राज्य-सभा में कहा कि उड़ीसा के वर्तमान तथा पूर्व मंत्रियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच केंद्रीय जासूसी विभाग कर रहा है।

अन्य खबर

ग्वालियर। भिंड जिले के एती गांव के निवासी डाकुओं के आतंक से डरकर गांव खाली कर रहे हैं। आधे लोग गांव छोड़ चुके हैं और बाकी बचे लोग स्थान की तलाश में व्यस्त हैं।

बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की दरकार

डॉ. सुनील गुप्ता
सदस्य, फिक्की राष्ट्रीय कार्यसमिति

बैंकों का बढ़ता एनपीए एक बड़ी समस्या है। इससे न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, बल्कि समग्र तौर पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत प्रभावित होती है। लिहाजा इस मसले पर प्राथमिकता से गौर करते हुए तुरंत समाधान निकालना जरूरी है।

देश की बैंकिंग इंडस्ट्री और खासकर पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए एनपीए (फंसे हुए कर्ज) का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय है। पिछले वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक नौ महीने की अवधि में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों का एनपीए औसतन 75 फीसद की दर से बढ़ा। यूनियन बैंक का एनपीए तो 297 फीसद की भयावह दर से बढ़ते हुए कुल अग्रिमों के 10.82 फीसद जितना हो गया। एसबीआई, पीएनबी और सेंट्रल बैंक का एनपीए भी इस अवधि में क्रमश: 5.73, 5.40 और 6.48 फीसद रहा। कैनरा बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा का एनपीए जरूर 3 फीसद के आसपास रहा। साफ है हमारे इन बैंकों ने कर्ज देने संबंधी कुछ खराब निर्णय लिए और इनकी निगरानी प्रणाली भी उतनी प्रभावी नहीं रही है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में नए प्राइवेट बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट को काफी अच्छे तरीके से संभाला और उनका औसत सकल एनपीए 1.96 फीसद रहा।

एनपीए बैंकों के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करता है। एनपीए का उच्च स्तर बड़ी संख्या में कर्ज चुकाने में चूक की संभावनाओं को दर्शाता है, जिससे बैंक के लाभों पर प्रतिकूल असर पड़ता है और उसकी संपत्तियों का मूल्य भी घटता है। एनपीए-संबंधी समस्याओं से न सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, बल्कि समग्र तौर पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत प्रभावित होती है। लिहाजा इस मसले पर प्राथमिकता से गौर करते हुए तुरंत समाधान निकालना जरूरी है। इसके लिए हम पहले यह समझें कि वे कौन-से कारण हैं, जो एनपीए बढ़ने के लिए जिम्मेदार हैं।

बढ़ते एनपीए के लिए कुछ हद तक कर्जदार भी जिम्मेदार होते हैं। उनमें जानकारी की कमी, कुप्रबंधन, जान-बूझकर कर्ज न चुकाना, धोखाधड़ी, विवाद, समुचित प्लानिंग का अभाव इत्यादि के चलते ऐसा हो सकता है। इसके अलावा सरकारी नीतियां, कर संबंधी कानून, औद्योगिक मंदी, राजनीतिक दबाव, लचर कानूनी तंत्र, ग्राहक की प्राथमिकता में बदलाव, जरूरी बुनियादी ढांचे का अभाव इत्यादि भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

वैसे एनपीए बढ़ने के लिए खुद बैंक भी जिम्मेदार होते हैं। इसके कारणों में गलत कर्जदार का चयन, उसकी साख का गलत आकलन, बैंक का अड़ियल रवैया, यूनिट्स का खुद निरीक्षण न करना, कर्ज मंजूरी में देरी, प्रशिक्षित स्टाफ व तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, कर्ज वसूली को लेकर लापरवाह रवैया और जवाबदेही का अभाव इत्यादि शामिल हैं।

मेरी राय में बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते एनपीए के लिए जिम्मेदार इन कारणों पर गौर करते हुए इस समस्या के समुचित निदान के लिए हमारी सरकार को दृढ़ता के साथ कुछ सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को पीजे नायक कमेटी द्वारा मई 2014 में रिजर्व बैंक के समक्ष पेश रिपोर्ट में सुझाए गए गवर्नेंस संबंधी सुधारों को लागू करना चाहिए। इस कमेटी ने पब्लिक सेक्टर बैंकों में सरकारी पूंजी को घटाने व उसी अनुपात में निजी पूंजी को बढ़ाने, राष्ट्रीयकृत बैंकों के संविलयन, इन बैंकों का स्वामित्व निवेश कंपनियों को हस्तांतरित करने और बैंकों को कंपनी कानून के तहत लाने जैसे कई सुझाव पेश किए हैं। ये सुधार मौजूदा सरकार की 'मैक्जिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट' नीति के अनुरूप भी हैं। इन्हें लागू करने से लाभ यह होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी और वे प्रतिस्पर्धी माहौल में निजी कारोबारी घरानों की तरह कामकाज करना सीख सकेंगे।

मौजूदा परिदृश्य में बैंकों में बढ़ते एनपीए का एक बड़ा कारण यह है कि उन अधिकारियों में जवाबदेही का नितांत अभाव है, जिनके पास निर्णय लेने, कर्ज देने या वसूलियों का अधिकार है। सरकार द्वारा संचालित बैंकों के बढ़ते एनपीए के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। इसके चलते कोई भी समयबद्ध तरीके से सही निर्णय लेने, कर्ज की मंजूरी या अदायगी सुनिश्चित करने के बारे में नहीं सोचता और न ही बकाया कर्जों की वसूली सही समय पर समुचित तरीके से सुनिश्चित कराने का प्रयास करता है। लिहाजा बैंकों में जवाबदेही की संस्कृति लाना जरूरी है। संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय हो, अहम निर्णयों की समयसीमा तय करें और अफसरों के अक्खड़, असहयोगात्मक रवैये, जिम्मेदारियों से बचने और कदाचरण के लिए दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। इससे स्टाफ व प्रबंधन के तौर-तरीकों में बदलाव आएगा और बैंकों की कार्य-संस्कृति सुधरेगी।

फिलहाल पब्लिक सेक्टर बैंकों में ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली नहीं है। इन बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का पूरी तरह अभाव है और प्रोजेक्ट अप्रेजल, कर्ज आवेदनों के निपटारे और कर्ज राशि जारी करने की भी कोई पूर्व निर्धारित समयसीमा नहीं है। इन सबका बैंकों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और एनपीए भी बढ़ता है। सरकार को इन विसंगतियों को दूर करने के बारे में भी पहल करनी होगी।

केंद्र सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंकों में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/सीईओ के पदों को भी अलग-अलग करते हुए उनको तीन या पांच वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल देना चाहिए, ताकि और जवाबदेही आए। इसके अलावा यह चयन समय पर, पारदर्शी और पेशेवर तरीके से हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार लाने के लिए सरकार को बैंक निदेशक मंडल में नियुक्त होने वाले स्वतंत्र निदेशकों के लिए भी पेशेवर योग्यता और अनुभव संबंधी अर्हता मानदंडों का स्पष्ट विवरण देना चाहिए।

भ्रष्टाचार रोकने और सरकार द्वारा संचालित बैंकों को मजबूत और लाभदायक स्थिति में बनाए रखने के लिए अपात्र कारोबारी इकाइयों से घूस लेकर कर्ज मंजूर करने की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म करना होगा। एक मजबूत व पारदर्शी निर्णय प्रणाली स्थापित की जाए, जिसकी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रभावी निगरानी हो। इससे सीनियर बैंक अधिकारियों की मनमानियों और भ्रष्ट प्रक्रियाओं पर काफी हद तक रोक लगेगी।

drsunilgupta@sunilram.com

अधबीच

बाढ़-सूत्र पारायण

यशवंत कोठारी

टीका : हे इंद्र देवता, आपको नमन! अब मैं बाढ़-सूत्र का शुभारंभ करता हूं।

प्रथम शंका : बाढ़ जैसे अशुभ कार्य को शुभारंभ क्यों कहा गया?

निवारण : बड़े भोले हो, वत्स ! सरकारी अफसरों को देखो, बाढ़ राहत के लिए जारी राशि की मात्रा को बांचो। उनके लिए बिन बुलाए दीपावली आ गई है। देखो तो वो अफसर-पत्नी अपनी बेबी को क्या कह रही है - 'बेबी, यू सी, इट इज फ्लड!' 'ओह ममी, रियली वेरी वंडरफुल!'

टीका : बाढ़ का क्षेत्र संपूर्ण जम्बूद्वीप उर्फ आर्यावर्त दैट इज भारत है, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। देवभूमि के नर-नारी जलप्लावन से ग्रस्त हैं।

अनुशंका : बाढ़ में फंसे मनुष्य क्या-क्या उपाय कर सकते हैं?

निवारण : बेचारे कर ही क्या सकते हैं! वायुसेना के हेलिकाप्टरों की प्रतीक्षा करते हैं। वृक्षों पर लटक जाते हैं। अपने बहते हुए बच्चों और नष्ट होते घरों को देखते हैं। जो ज्यादा होशियार हैं, वे लाशों के कानों-हाथों से आभूषण उतार लेते हैं, या संपूर्ण हाथ, कान और नाक ही काट लेते हैं।

टीका : बढ़े बाल, मरियल, अर्ध-विक्षिप्त-सा, आंखों में आंसू व जीर्ण-शीर्ण वस्त्रों वाला! एक बाढ़-पीड़ित का हुलिया ऐसा ही होता है।

कुशंका : बाढ़-पीड़ित की ऐसी हालत क्यों हो जाती है?

निवारण : लगता है, तुम कभी बाढ़-पीड़ित नहीं हुए हो! अगर यह विपदा कभी तुम पर पड़ गई तो फिर इस श्लोक का मर्म तुम कभी भुला न सकोगे। पीड़ितों की यही दशा प्राच्यग्रंथों में भी वर्णित है। यही उनका प्रारब्ध है।

टीका : सरकारें बाढ़ से अप्रभावित रहती हैं।

लघुशंका : बाढ़ में जब चारों तरफ हाहाकार मच जाता है तो ऐसे दुर्दांत समय में सरकार क्या करती है?

निवारण : सरकार बेचारी भला क्या कर सकती है! यदि सड़कें, पुलिया और पुल टूट जाते हैं, तो प्रशासन कोई हवा में उड़कर मदद थोड़े ही कर सकता है। सनद रहे, सरकारें केवल शांतिकाल की व्यवस्था हैं। आपात-स्थिति में सरकारों को भंग हुआ मान लिया जाना चाहिए।

टीका : बाढ़ के समय किसी मर्यादा का निर्वाह नहीं होता।

अतिलघुशंका : तो फिर क्या होता है?

निवारण : जहां स्थान मिले, रहना, जो खाने को मिले, खाकर गुजारा करना होता है। मर्यादा पीड़ितों का आभूषण नहीं, यह सरकार का अलंकार है।

प्रतिशंका : क्या बाढ़ से रोग भी फैलते हैं?

प्रतिनिवारण : रोग तो जलप्लावन के सहचर हैं। यदि स्वास्थ्य-विभाग कर्मठ हो तो रोग कुछ नहीं कर पाते, किंतु आर्यावर्त में तो ऐसा संभव नहीं।

टीका : बाढ़ के उपरांत प्रभावितों को स्वयंसेवी संस्थाओं, जिलाधीशों तथा नेताओं की शरण में जाना चाहिए।

व्यर्थ शंका : जिलाधीश और नेताओं की शरण में क्यों जाना पड़ता है?

निवारण : बाढ़-पीड़ित का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए जिलाधीश व नेताओं की मदद अत्यंत आवश्यक है। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि बेचारा वास्तविक बाढ़-पीड़ित यह प्रमाण-पत्र प्राप्त ही नहीं कर पाता है।

प्रतिशंका : वास्तविक पीड़ितों को प्रमाण-पत्र क्यों नहीं मिल पाते?

प्रतिनिवारण : आर्यावर्त में बाढ़ से भी सर्वग्रासी एक चीज पाई जाती है, जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं। एक भ्रष्टाचार-प्रधान राष्ट्र में ऐसा ही होता है!

टीका : बाढ़ें सरकार के लिए व्याधि हैं।

बालशंका : इस व्याधि को दूर करने के क्या उपाय हैं?

निवारण : उपाय तो कई हैं, किंतु सरकार करे तब तो! वैसे भी सरकार का सरोकार व्याधियों से नहीं, उपाधियों से ही होता है।

अस्तु, बाढ़ का चरित्र तो देव भी नहीं जान सकते, व्यंग्यकार क्या जानेगा!

ykkothari3@gmail.com

जनमत

हेलमेट के नियम में भेदभाव क्यों?

निशा सोनी

दिल्ली में महिलाओं के लिए हेलमेट लगाने का नियम लागू कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तेजतर्रार कार्रवाई करते हुए पहले ही दिन करीब पांच हजार महिलाओं के चालान भी काट दिए। महिलाओं को मौके पर ही हेलमेट लगाने को लेकर शिक्षा भी दी जा रही है। यह कार्रवाई पहली नजर में काफी अच्छी लगती है। परंतु न तो दिल्ली पुलिस और न ही उपराज्यपाल नजीब जंग की तरफ से यह साफ किया गया है कि एक वर्ग के लोगों को इस नियम को दायरे से दूर क्यों रखा गया है। सभी धर्म को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार एक खास धर्म को लेकर इतना प्यार क्यों दिखा रही है। मै किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं। मेरा मानना है कि सभी धर्म के लोगों को इस देश में समान नजरों से देखा जाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सब एक जैसे हैं। तो फिर इन्हें अलग-अलग चश्मे से देखने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। खैर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हेलमेट न लगाने के कारण हर साल राजधानी में बड़ी संख्या में महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सुरक्षा के लिहाज से यह बेहद जरूरी कदम है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सड़क हादसों में होने वाली मौत की संख्या में कमी आएगी। मेरा मानना है सिख धर्म को स्वयं आगे बढ़कर खुद को इस कानून के दायरे में आने की पेशकश करनी चाहिए। ऐसा करने से सिख महिलाएं भी वाहन चलाते वक्त खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी।

(गृहणी)

धर्म के नाम पर सुरक्षा से खिलवाड़

निशि भाट

दिल्ली सरकार के एक नोटिफिकेशन के बाद राजधानी में महिलाओं के लिए दोपहिया वाहन पर पीछे बैठते वक्त हेलमेट लगाने के नियम को लागू कर दिया है। यहां दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले पुरुषों के लिए हेलमेट लगाना पहले से अनिवार्य है। परंतु यह बात सबकी समझ से परे थी कि राजधानी जैसी वर्